भाग –ए

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द	
पीठासीन अधिकारी	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, **RJS**
निर्णय दिनांक	30.07.2026
प्रकरण संख्या	285/2015
अंतर्गत धारा	420,406,411,201,120बी भा.द.स.
CIS No	453/2015
CNR No	RJRS020007652015
FIR NO	144/2014 Police Station Rajnagar

परिवादी/शिकायत कर्ता	प्रफुल रंजन
राज्य की ओर से	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	1. श्रीमती जेतीदेवी पत्नी नेनालाल माली, निवासी– देवगढ थाना देवगढ जिला राजसमन्द **(निर्णय दिनांक 29.10.25)** 2. तुलसीदास पुत्र श्री मोहनदास वैष्णव, निवासी–बलीचा थाना खमनोर जिला राजसमन्द।**(मृत्यु होने से कार्यवाही ड्रॉप)** 3. पुष्करलाल पुत्र श्री रूपलाल वैष्णव, निवासी– गुडली, थाना देलवाडा जिला राजसमन्द। 4. रामचन्द्र पुत्र श्री मोतीलाल वैष्णव निवासी– बैडवास थाना प्रतापनगर जिला उदयपुर **(निर्णय दिनांक 29.10.25)**
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री घनश्यामसिंह भाटी

भाग–बी

अपराध की दिनांक	26.06.2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की दिनांक	19.06.2014
आरोप पत्र दाखिल करने की दिनांक	06.04.2015
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	07.02.2026
बयान आरम्भ करने की दिनांक	07.02.2026

बहस अंतिम सुनने की दिनांक	30.07.2016
निर्णय की दिनांक	30.07.2026
दण्डादेश सुनाये जाने की दिनांक	———

भाग—सी

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	दण्डित या नहीं	धारा 468 बीएनएसएस के तहत अभियुक्त द्वारा प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01	पुष्कर	——	——	420,406,411,201,120बीभा.द.सं.	**दोषमुक्त**	नहीं	——

भाग—द्वितीय

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा परीक्षित साक्षीगण की सूची

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी

साक्षी नंबर	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी.ड. 01	प्रफुल्ल रंजन	परिवादी
पी.ड. 02	मुबारिक हुसैन	स्टाम्प बेचना
पी.ड. 03	जमनालाल	स्टाम्प बेचना
पी.ड. 04	उमा	फर्द गिरफ्तारी जेती
पी.ड. 05	तुलसीराम	फर्द गिरफ्तारी, बरामदगी स्थल व जब्ती
पी.ड. 06	डूंगरसिंह कर्णावट	नोटेरी
पी.ड. 07	किशनसिंह	बरामदगी स्थल व जब्ती
पी.ड. 08	अवतारसिंह	बरामदगी स्थल व जब्ती
पी.ड. 09	मुकेश चंद	फर्द गिरफ्तारी, बरामदगी स्थल व जब्ती
पी.ड. 10	बरकल अली	मालखाना इन्चार्ज
पी.ड. 11	हरिराम	फर्द गिरफ्तारी जेती
पी.ड. 12	मंजूर हुसैन	नक्शा मौका

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजो की सूची

क्र.सं.	प्रदर्श की संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	लिखित रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी 03	लोन की समरी रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी 04	लोन पर हाईपोथिकेशन एग्रीमेण्ट
05	प्रदर्श पी 05	वाहन नंबर आर.जे.30 जी 2289 की आरसी
06	प्रदर्श पी 06	तुलसीदास व जेती का विक्रय इकरार
07	प्रदर्श पी 07	फर्द गिरफ्तारी जेती
08	प्रदर्श पी 08	फर्द जब्ती
09	प्रदर्श पी 09	फर्द बरामदगी स्थल
10	प्रदर्श पी 10	फर्द गिरफ्तारी रामचन्द्र
11	प्रदर्श पी 11	फर्द जब्ती
12	प्रदर्श पी 12	फर्द बरामदगी स्थल
13	प्रदर्श पी 13	विक्रय इकरारनामा तुलसीदास व पुष्कर
14	प्रदर्श पी 14	फर्द घटना तस्दीक
15	प्रदर्श पी 15	फर्द जब्ती
16	प्रदर्श पी 16	फर्द बरामदगी स्थल
17	प्रदर्श पी 17	मालखाना रजिस्टर की नकल
18	प्रदर्श पी 19	फर्द घटना तस्दीक
19	प्रदर्श पी 19	फर्द गिरफ्तारी तुलसीदास
20	प्रदर्श डी 1	पुलिस बयान जमनालाल

:: निर्णय :: **दिनांक : 30.07.2026**

1. यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त तुलसीदास की मृत्यु हो चुकी है और अभियुक्तगण जेतीदेवी व रामचन्द्र के संबंध में निर्णय पूर्व में दिनांक 29.10.25 को हो चुका है। इसलिए यह निर्णय केवल अभियुक्त पुष्कर के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट

फाईनेंस कंपनी जरिये ब्रांच मेनेजर प्रफुल रंजन ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी राजनगर के समक्ष दिनांक 19.06.14 को इस आशय की पेश की कि प्रार्थी कंपनी वाहनों पर वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है जिससे श्रीमती जेतीदेवी ने अपने वाहन टाटा एलपीटी 2515 रजिस्ट्रेशननंबर आर.जे.30 जी 2289 पर 4,87,000/– रूपए की वित्तीय सुविधा दिनांक 26.06.12 को प्राप्त की थी जिसे जेतीदेवी को 31 मासिक किश्तों में मय ब्याज 6,31,293/– रूपए अदा करने थे तथा उक्त वाहन के सबंध में घीसूसिंह द्वारा गारण्टी दी गई थी। जेती द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सुविधा के पेटे कंपनी में मात्र 78575/– रूपए ही अदा किये गये व उसके बाद किश्तों में चूंक कारित की गई जिस पर कंपनी द्वारा जेतीदेवी को कई बार सूचित किया गया फिर भी उसके द्वारा कोई किश्त कंपनी में जमा नहीं करवाई गई। प्रार्थी कंपनी को थाना राजनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त वाहन से संबंधित कोई मुकदमा तुलसीदास द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज करवाया गया है तथा तुलसीदास द्वारा उक्त वाहन जेतीदेवी से प्राप्त करना बताया है जबकि जेतीदेवी उक्त वाहन को हाईपोथीकेशन अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकती है। जेतीदेवी के द्वारा कंपनी के विरूद्ध छल करते हुए वाहन किसी अन्य को बेच दिया है ....इत्यादि। उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजनगर द्वारा प्रकरण संख्या 144/2014 धारा 420, 406 भा.द.सं. में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण जेतीदेवी, तुलसीदास, रामचन्द्र व पुष्करलाल के विरुद्ध धारा 420,406,411,201,120बी भा.द.सं. के अपराध में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण जेतीदेवी, तुलसीदास, रामचन्द्र व पुष्करलाल को अपराध अंतर्गत धारा 420,406,411,201,120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 प्रफुल्ल रंजन, पी.ड.2 मुबारिक हुसैन, पी.ड.3 जमनालाल, पी.ड.4 उमा, पी.ड.5 तुलसीदाम, पी.ड.6 डूंगरसिंह कर्णावट, पी.ड.7 किशनसिंह, पी.ड.8 अवतारसिंह, पी.ड.9 मुकेश चन्द्र, पी.ड.10

बरकत खान, पी.ड.11 हरीराम, पी.ड.12 मंजुर हुसैन को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में लिखित रिपोर्ट प्रपी.1, चाक एफ.आई.आर. प्रपी.2, लोन की समरी रिपोर्ट प्रपी.3, लोन पर हाईपोथिकेशन एग्रीमेण्ट प्रपी.4, वाहन नंबर आर.जे.30 जी 2289 की आर.सी. प्रपी.5,तुलसीदास व जेती का विक्रय इकरार प्रपी.6, फर्द गिरफ्तारी जेतीदेवी प्रपी.7, फर्द जब्ती प्रपी.8, फर्द बरामदगी स्थल प्रपी.9, फर्द गिरफ्तारी रामचन्द्र प्रपी.10,फर्द जब्ती प्रपी.11, फर्द बरामदगी स्थल प्रपी.12, विक्रय इकरारनामा तुलसीदास व पुष्कर प्रपी.13, फर्द घटना तस्दीक प्रपी.14, फर्द जब्ती प्रपी.16, फर्द बरामदगी स्थल प्रपी.17, मालखाना रजिस्टर की नकल प्रपी.18ए, फर्द घटना तस्दीक प्रपी.19, फर्द गिरफ्तारी तुलसीदास प्रपी.19 को प्रदर्शित कराया गया।

नोटः— दस्तावेज प्रपी.15 सहवन से किसी भी दस्तावेज पर अंकित नहीं किया गया है एवं प्रपी.19 सहवन से दो दस्तावेज फर्द घटना तस्दीक व फर्द गिरफ्तारी तुलसीदास पर अंकित हो गया हैं।

05. अभियुक्त पुष्कर को धारा 351 BNSS (313 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करनी चाही। जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई। अभियोजन साक्ष्य में गवाह जमनालाल प्रडी.1 को प्रदर्शित करवाया गया।

06. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य से आरोप प्रमाणित किया जाना व्यक्त कर अभियुक्त को दोषी करार देने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। गवाहान के बयानों में भारी विरोधाभास है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जावें।

08. उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :—

1. क्या दिनांक 19.06.14 से पूर्व किसी समय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कोरर्पोरेशन लिमिटेड से अभियुक्ता जेतीदेवी द्वारा अपने वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 पर 4,87,000/– रूपए का ऋण प्राप्त कर बिना किश्तें चुकाए वाहन के हाईपोथिकेशन पर होते हुए उक्त वाहन को तुलसीदास को बेचकर परिवादी कंपनी के साथ बेईमानीपर्वूक छल करते हुए उक्त राशि को प्रार्थी कंपनी को नहीं लौटाकर अपने उपयोग में सम्परिवर्तित किया तथा मुलजिम तुलसीदास व पुष्कर ने उक्त वाहन के हाईपोथिकेशन पर होना जानते हुए क्रय किया एवं पुष्कर व रामचन्द्र ने उक्त ट्रक के संबंध में साक्ष्य का विलोप करने के आशय से बेचे गए ट्रक को काटकर खुर्द बुर्द किया?
2. यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के पात्र हैं ?

09. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश की गई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में पी.ड.1 प्रफुल्ल रंजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी.1 दर्ज करवाई गई है किन्तु उक्त रिपोर्ट प्रपी.1 में कहीं भी अभियुक्त पुष्कर नामजद नहीं है। अपने प्रतिपरीक्षण में भी उक्त गवाह यह कथन करता है कि रिपोर्ट में तथा उसके द्वारान्यायालय में प्रदर्शित करवाए गए किसी भी दस्तावेज में पुष्कर का नाम नहीं है। वह पुष्कर को नहीं जानता है और नही उसने पुष्कर के विरूद्ध कोई बयान दिए हैं।

10. गवाह पी.ड.2 मुबारिक हुसैन द्वारा अभियुक्त पुष्कर के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है क्योंकि उक्त गवाह तुलसीदास को स्टाम्प बेचने का गवाह है। गवाह पी.ड.3 जमनालाल कुमावत जो कि अपने मुख्य परीक्षण में पुष्कर द्वारा उससे स्टाम्प प्रपी.13 खरीदना बताता है किन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह यह कथन करता है कि वह पुष्कर को नहीं जानता है। पुष्कर ने किस के साथ क्या इकरार किया, उसे पता नहीं। उसके द्वारा प्रपी.13 पर कोई टाईप नहीं की गई तथा उसके इस प्रकरण में पुलिस ने बयान नहीं लिए। पुलिस बयान प्रडी.1 को पुलिस को देने से इंकार किया है।

11. गवाह पी.ड.6 डूंगरसिंह कर्णावट जो उक्त स्टाम्प प्रपी.13 पर नोटैरी करना कहता है किन्तु उक्त गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि प्रपी.12 मूल नहीं होकर छाया प्रति है तथा वह प्रपी.13 के पक्षकारों को नहीं जानता है और

न ही उसके सामने उक्त स्टाम्प टाईप हुआ है। प्रपी.13 के आई से जे भाग पर किसी चैक का उल्लेख नहीं है तथा यह भाग रिक्त है। प्रपी.13 का अवलोकन किया जावे तो उक्त प्रपी.13 एक फोटोप्रति इकरारनामा है जिसका असल इकरारनामा कहां है, क्यों जब्त नहीं किया गया। इसका कोई कारण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त इकरारनामा किसके कब्जे से बरामद किया गया, इसकी कोई फर्द बरामदगी भी नहीं बनाई गई है। ऐसी स्थिति में उक्त इकरारनामा अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं किया गया। उक्त इकरारनामा अभियुक्त द्वारा निष्पादित किया गया हो और उससे बरामद किया गया हो, इस बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। स्टाम्प विक्रेता व नोटेरी द्वारा अभियुक्त को जानने से इंकार कर दिया गया है। उक्त स्टाम्प के साक्षी उम्मेदसिंह व कमल को भी अभियोजन की ओर से बतौर गवाह पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त स्टाम्प के जरिये अभियुक्त पुष्कर द्वारा तुलसीदास से विवाद ट्रक खरीदा गया हो व कब्जा प्राप्त किया गया हो, यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है।

12. प्रकरण के अन्य गवाहान् में गवाह पी.ड.5 तुलसीराम व पी.ड.7 किशनसिंह फर्द प्रपी.8 व प्रपी.9 के गवाहान् है। फर्द प्रपी.8 अभियुक्त पुष्कर के रिहायशी मकान से ट्रक का रेडियेटर और बेट्री की जब्ती की फर्द है व प्रपी.9 उक्त जब्ती का बरामदगी स्थल है किन्तु उक्त फर्दो के संबंध में गवाहान् ने यह कथन किया है कि उनके सामने पुष्कर द्वारा कोई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला नहीं दी गई तथा प्रपी.8 व प्रपी.9 के अनुक्रम में थाना राजनगर से गुडली तक आने व जाने के संबंध में कोई रपट रोजनामचा की प्रति पत्रावली पर नहीं है और न ही किसी राजकीय वाहन की लॉबबुक, रोडवेज बस की टिकिट या वारण्ट है। प्रपी.8 व प्रपी.9 में वर्णित मकान की मिल्कियत के संबंध में कोई दस्तावेज विधुत, पानी आदि बिल उसके समक्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं लिए गए और न ही मकान के आस पडौसियों के बयान लिए गए। जब्त किए गए माल पर कहीं भी वाहन या वाहन स्वामी का नाम, मार्का या पहचान चिन्ह अंकित नहीं था। ऐसी स्थिति में फर्द प्रपी.8 व प्रपी.9 की जब्ती अभियुक्त पुष्कर से की गई हो या उसके मकानसे की गई हो, यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है क्योंकि जब्ती स्थल के लिए रवानगी या वापसी के संबंध में कोई रपट रोजनामचा पत्रावली पर नहीं है। ऐसी

स्थिति में जब्ती गवाहान् के समक्ष नहीं हुई एवं मकान अभियुक्त के स्वामित्व या कब्जे को हो, इस बाबत् भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। यहां तक कि स्थानीय पुलिस की भी कोई मदद नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के मकान पर जाकर माल जब्त किए जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। इसके अलावा जिस माल को बरामद किया गया, वह माल प्रकरण में विवादित ट्रक का हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में जब्त माल का विवादित ट्रक से कोई संबंध हो या उसी ट्रक का माल हो, यह तथ्य भी संदेह से परे साबित नहीं होता है। यहां तक कि फर्द प्रपी.9 जब्ती स्थल के नक्शे मौके पर भी कहीं अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में फर्द प्रपी.8 व प्रपी.9 की जब्ती अभियुक्त से की गई हो, यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है और न ही यह साबित होता है कि उक्त जब्त माल प्रकरण में विवादित ट्रक का ही हो। उक्त माल को न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द प्रपी.8 व प्रपी.9 पूर्णतः संदिग्ध हो जाती है।

13. अन्य गवाहान् में गवाह पी.ड.8 अवतारसिंह है, जो कि अभियुक्त पुष्कर की सूचना पर उसके बेडरूम से दो डिस्क व एक स्टीयरिंग बॉक्स को जरिए फर्द प्रपी.11 के जब्त करना कहता है व नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रपी.12 बनाना कहता है किन्तु जिरह में गवाह कथन करता है कि उसकी मुख्य परीक्षा में वर्णित डिस्क व एक स्टीयरिंग बॉक्स पर किसी भी वाहन के नंबर नहीं थे। उक्त डिस्क व एक स्टीयरिंग बॉक्स किस कंपनी के थे, उनके मेक क्या था, कौनसे मॉडल के थे, यह वह नहीं बता सकता है। फर्द प्रपी.11 व प्रपी.12 को बनाने के लिए थाने से आने व जाने के लिए कोई रपट रोजनामचा की प्रति पत्रावली पर नहीं है तथा न ही प्रपी.12 में वर्णित मकान की मिल्कियत के संबंध में कोई दस्तावेज पटवारी, सचिव, सरपंच आदि से प्राप्त नहीं किए और न ही इस संबंध में कोई विधुत, पानी आदि के बिल प्राप्त किए। प्रपी.11 व प्रपी.12 में वर्णित मकान का दरवाजा कौनसी दिशा में खुलता था, या उसके अंदर कितने कमरे थे, वह नहीं बता सकता। प्रपी.11 के सी से डी भाग में व्हाईटनर लगाकर सुधार किया गया है किन्तु उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रपी.12 में मेरे हस्ताक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार फर्द प्रपी.11 व प्रपी.12 के कम में अभियुक्त पुष्कर से जब्ती की प्रकिया संदिग्ध हो जाती

है क्योंकि जब्ती स्थल मकान अभियुक्त पुष्कर के कब्जे का हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और नही जब्ती बाबत् जाने व आने की कोई रोजनामचा रपट पत्रावली पर है। गवाह मकान के बारे में बताने में असफल रहा है। यहां तक कि गवाह नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रपी.12 पर अपने हस्ताक्षर भी दिखाई नहीं देने का कथन करता है। इसके अलावा जो माल जब्त किया गया, वह माल न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और न ही यह साबित किया गया कि वह माल विवाद ट्रक का माल हो। ऐसी स्थिति में प्रपी.11 व प्रपी.12 में जब्तशुदा माल अभियुक्त से जब्त किया गया हो और उक्त जब्त माल विवादित ट्रक का हो, यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है।

14. गवाह पी.ड.9 मुकेश चन्द्र है किन्तु उक्त गवाह अन्य आरोपी रामचन्द्र द्वारा यह सूचना दिए जाने का गवा हहै कि उसने व अभियुक्त ने ट्रक नंबर आर.जे.30 जी 2289 को जिस स्थान पर काटा, उसकी फर्द घटना स्थल तस्दीक प्रपी.14 बनाई गई किन्तु प्रपी.14 बनाते समय अभियुक्त पुष्कर मौजूद नहीं था तथा जिस फर्द प्रपी.14 के आधार पर ट्रक को काटा जाने का स्थान बताया गया है, उस फर्द को न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामचन्द्र के विरूद्ध पारित किए गए निर्णय में विश्वसनीय नहीं मानते हुए अभियुक्त रामचन्द्र को दोषमुक्त कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में जिस फर्द के आधार पर स्वयं रामचन्द्र को ही दोषमुक्त कर दिया गया, उस फर्द के आधार पर अभियुक्त पुष्कर के विरूद्ध किसी भी साक्ष्य का सृजन नहीं होता है।

15. गवाह पी.ड.10 बरकत खन है जो कि मालखाना इन्चार्ज है तथा मालखाने में माल को जमा करने का कथन करता है किन्तु यह गवाह यह कथन करता है कि जब्त माल पर किसी हवान के कोई नंबर या वाहन निर्माता कंपनी का नाम, मार्का या पहचान चिन्ह अंकित नहीं था। इसके अलावा यह गवाह यह कथन करता है कि उसे माल सीलचिट अवस्था में प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में माल खुली अवस्था में मालखाना में जमा किया गया। माल को मौके पर जब्त कर सील मोहन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में में माल की जब्ती की प्रक्रिया संदिग होती है तथा यह तथ्य भी संदिग्ध होता है कि उक्त जब्तशुदा माल पुष्कर से बरामद किया गया हो तथा उक्त माल ट्रक नंबर आर.जे.30 जी 2289 का ही माल हो।

16. ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आई सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो अभियोजन यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त पुष्कर द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण तुलसीदास से इकरार कर ट्रक नंबर आर.जे.30 जी 2289 का कब्जा प्राप्त किया गया तथा उक्त ट्रक को कटवा दिया हो। प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में परिवादी कंपनी से किसी प्रकार का छल या आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद है कि अभियुक्त द्वारा चुराए गए ट्रक को बेईमानीपूर्ण आशय से प्राप्त किया हो और किसी अन्य अभियुक्त से आपराधिक षडयंत्र कारित करते हुए उस ट्रक को काटते हुए बेचकर खुर्द बुर्द कर दिया गया हो। ट्रक को काटे जाने या खुर्द बुर्द किए जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य संदेह से परे पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पुष्कर के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। जिससे अभियुक्त पुष्कर धारा 420,406,411,201,120बी भा.द.सं. में दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

:: आदेश ::

17. अतः अभियुक्त पुष्करलाल पुत्र श्री रूपलाल वैष्णव, निवासी– गुडली, थाना देलवाडा जिला राजसमन्द को अपराध अंतर्गत धारा 420,406,411,201,120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है। प्रकरण में धारा 395 बी.एन.एस.एस. के तहत पीड़ित को कोई प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

(धर्मेन्द्र कुमार शर्मा)

18. निर्णय व आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 30.07.2026 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(धर्मेन्द्र कुमार शर्मा)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.31 11:27:39 IST